13

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प – 5216

विषय : राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।

फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में राज्यकर्मियों के छठे वेतन पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–660, दिनांक 28.02.2009 के आलोक में केन्द्र के अनुरूप राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जाता है :–

क्र0	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला पद – 37,400–67,000/– रु0 वेतनमान में वेतन बैंड–IV में 10,000/– रु0, 8,900/– रु0 एवं 8,700/– रु0 तथा 15,600–39,100/– रु0 में वेतन बैंड– III में 7,600/– रु0, 6,600/– रु0 एवं 5,400/– रु0	समूह 'क'
2	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला पद – 9,300–34,800/– रु0 के वेतनमान मे वेतन बैंड– II में 5,400/– रु0, 4,800/– रु0, 4,600/– रु0 एवं 4,200/– रु0	समूह 'ख'
3	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला पद – 5,200–20,200/– रु0 के वेतनमान में वेतन बैंड– I में 2,800/– रु0, 2,400/– रु0, 2,000/– रु0, 1,900/– रु0 एवं 1,800/– रु0	समूह 'ग'
4	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला पद – 4,440–7,440/– रु0 के वेतनमान में –1एस. वेतन बैंड में 1,300/– रु0, 1,400/– रु0, 1,600/– रु0 एवं 1,650/– रु0	समूह 'घ'

2. अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' के समझे जायेंगे।

3. यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान न हो तो प्रशासी विभाग उसे तदनुकुल संशोधित कर लेगा।

4. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

27/8/2010

(आदित्य स्वरूप)

सरकार के प्रधान सचिव।